न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी०, शामली स्थित कैराना
जमानत प्रार्थना पत्र सं०–1755/19
CNR No.UPSM01–003924–2019

आरिफ उर्फ भूरा उर्फ मानव पुत्र इकबाल निवासी ग्राम कुडाना, थाना शामली , जनपद शामली
----प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य--**विपक्षी।**

मु०अ०सं०–597/2018
धारा–3/25 आयुध अधिनियम
थाना–कोतवाली शामली, जिला शामली

<u>दिनांक–05–12–2019</u>

1– मु0 अ0 सं0 –597/2018, अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम , थाना कोतवाली शामली, जिला शामली के मामले में आवेदक आरिफ उर्फ भूरा उर्फ मानव की तरफ से यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के माध्यम से तर्क दिये गयें हैं। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व सजायाफता नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी।

3– जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुये बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह कहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त की उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित अन्य प्रकरण मु०अ०सं० 586/2018, अन्तर्गत धारा 364, 376D, 465, 414 भा०द०सं० व ¾ पोक्सो एक्ट, थाना कोतवाली शामली में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मुख्य अपराध धारा 376D भा०द०सं० में अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकार हो जाने के बाद धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत उसकी जमानत एक औपचारिकता मात्र रही गयी है।

4– न्यायालय में उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

5– सुना व अवलोकन किया।

6– वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय का अभिमत है कि जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त आरिफ उर्फ भूरा उर्फ मानव का जमानत प्रार्थना –पत्र उसके द्वारा की गयी प्रार्थना के परिप्रेक्ष्य में निम्न शर्तां के अधीन स्वीकार किया जाता है। उसके द्वारा अंकन 50,000/–रु0 (पचास हजार रुपये मात्र) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वह दौरान विचारण मामले से सम्बन्धित साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा, न्यायालय द्वारा नियत की गई प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा। इस मामले में आरोप व धारा 313 द०प्र०सं० के स्तर पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

अपर सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी०,
शामली, स्थित कैराना